



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश सुरक्षित रखा गया : 25.03.2025

आदेश पारित किया गया : 11.06.2025

रिट याचिका (सेवा) सं. 3902/ 2015

डॉ. हेमलता तिवारी पाठक, पति- श्री राकेश पाठक, आयु- लगभग 49 वर्ष है, वर्तमान में कार्यालय सहायक वर्ग- II, वरिष्ठ लेखा अधिकारी का कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सी. एस. पी. डी. सी. एल.), विद्युत मंडल परिसर, गुडियारी, जिला- रायपुर (छ.ग.), के रूप में कार्यरत हैं।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड (सी. एस. पी. डी. सी. एल.), द्वारा- अध्यक्ष, विद्युत मंडल परिसर, डंगनिया, जिला- रायपुर (छ.ग.)
- 2 - प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सी. एस. पी. डी. सी. एल.), विद्युत मंडल परिसर, डंगनिया, जिला- रायपुर (छ.ग.)
- 3 - कार्यकारी निदेशक [एच. आर. (मानव संशाधन)], छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सी. एस. पी. डी. सी. एल.), विद्युत मंडल परिसर, डंगनिया, जिला- रायपुर (छ.ग.)
- 4 - वरिष्ठ लेखा अधिकारी-I, छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सी. एस. पी. डी. सी. एल.), विद्युत मंडल परिसर, गुडियारी, जिला- रायपुर (छ.ग.)



5 - कार्यकारी निदेशक आर. आर. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सी एस पी डी सी एल), विद्युत मंडल परिसार, गुडियारी, जिला- रायपुर (छ.ग.)

..... उत्तरवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री अमृतो दास की ओर से श्री अनिमेष पाठक, अधिवक्ता

उत्तरवादियों की ओर से : सुश्री वीणा नायर, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

सी. ए. वी. आदेश

1. याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी अधिकारियों के विरुद्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है, जिसके तहत उत्तरवादियों ने 14.03.1984 दिनांकित आदेश के उपबंधों के अनुसार पी. एच. डी. के पूर्ण होने पर अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान नहीं की है। याचिकाकर्ता के पास शिकायत के निवारण के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं होने के कारण; न्याय मांगने के लिए इस न्यायालय में आने के लिए विवश है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया है, यह है कि याचिकाकर्ता वर्तमान में उत्तरवादी कंपनी अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में कार्यालय सहायक वर्ग- II के रूप में कार्यरत है। मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया और तत्कालीन एम. पी. ई. बी. को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (सी. एस. ई. बी.) में पुनर्गठित किया गया। बाद में, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को निम्नलिखित पाँच कंपनियों में पुनर्गठित किया गया जो हैं- छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। उत्तरवादी कंपनी अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सी. एस.



पी. डी. सी. एल.) 01.01.2009 के प्रभाव से अस्तित्व में आई। तत्कालीन एम. पी. ई. बी. में मौजूद और प्रचलित सभी आदेशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं और उप-विधियों को तत्कालीन सी. एस. ई. बी. द्वारा विधिवत रूप से अपनाया गया था और इन्हें उत्तरवादी कंपनी द्वारा विधिवत रूप से अपनाया गया था। याचिकाकर्ता मनोविज्ञान में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री की धारक हैं, उसके डिग्री की प्रति अनुलग्नक P/03 के रूप में संलग्न है। याचिकाकर्ता ने सक्रिय रूप से विभिन्न सम्मेलनों में भाग लिया और विभिन्न मनोवैज्ञानिक विषयों में शोध पत्र भी प्रस्तुत किए। भागीदारी और पेपर (शोध-पत्र) की प्रस्तुति के प्रमाण-पत्र अनुलग्नक P/04 के रूप में संलग्न हैं। याचिकाकर्ता को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा 03.04.2006 और 04.04.2006 को आयोजित श्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति अनुलग्नक P/05 है और उनकी उपस्थिति प्रमाण- पत्र की प्रति अनुलग्नक P/06 है। इसके बाद, उत्तरवादियों द्वारा उन्हें "व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम" पर 21 दिनों का पूर्णकालिक प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया गया और उक्त कार्यक्रम के सफल समापन का प्रमाण-पत्र को अनुलग्नक P/07 के रूप में संलग्न किया गया है। इसके बाद, याचिकाकर्ता को चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का निर्देश दिया गया, जो 11.07.2006 से 14.07.2006 तक आयोजित किया गया था, जिसकी प्रति यहाँ अनुलग्नक P/08 के रूप में संलग्न है। याचिकाकर्ता ने 17.08.2009 दिनांकित आवेदन के माध्यम से उत्तरवादी अधिकारियों से पण्डित रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) से नैदानिक मनोविज्ञान (क्लीनिकल साइकोलोजी) में पी.एच.डी. करने के लिए अनुमति मांगी, जो यहाँ अनुलग्नक P/09 के रूप में संलग्न है। उत्तरवादी अधिकारियों ने 25.08.2009 दिनांकित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को पण्डित रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) से नैदानिक मनोविज्ञान (क्लीनिकल साइकोलोजी) में मनोविज्ञान विषय में सामाजिक विज्ञान संकाय, में पी.एच.डी. करने की अनुमति प्रदान की। 25.05.2011 दिनांकित परिपत्र, अनुलग्नक P/11, के माध्यम से उत्तरवादियों ने 'आतंकवाद और



हिंसा' पर एक संभाषण आयोजित करने का निर्देश दिया। 25.05.2011 दिनांकित परिपत्र, अनुलग्नक P/12, के माध्यम से 'अनेकता में एकता' पर व्याख्यानों की श्रृंखला आयोजित करने का निर्देश दिया। उत्तरवादियों ने 25.05.2011 दिनांकित परिपत्र, अनुलग्नक P/13, के माध्यम से 2 दिवसीय श्रमिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 31.01.2012 को राजनंदगांव, संचालन एवं रखरखाव अनुभाग में श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। उत्तरवादियों ने 06.02.2012 दिनांकित परिपत्र, अनुलग्नक P/14, के माध्यम से 2 दिवसीय श्रमिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 07.02.2012 को सक्ती, संचालन एवं रखरखाव अनुभाग में श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। उत्तरवादियों ने 21.02.2012 दिनांकित परिपत्र, अनुलग्नक P/15, के माध्यम से 2 दिवसीय श्रमिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 07.02.2012 को रायपुर मुख्यालय में "तनाव प्रबंधन" पर श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। उत्तरवादियों ने 17.05.2012 दिनांकित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को श्रमिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसूची के अनुसार विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसे अनुलग्नक P/16 के रूप में संलग्न किया गया है, जिसका याचिकाकर्ता ने पूरी तरह से पालन किया और जिन विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित अभिनिर्धारित किया गया है, उनमें कोरबा क्षेत्र से संबंधित आदेश अनुलग्नक P/17 के रूप में संलग्न है, दुर्ग क्षेत्र से संबंधित आदेश अनुलग्नक P/18 के रूप में संलग्न है, रायगढ़ क्षेत्र से संबंधित आदेश अनुलग्नक P/19 के रूप में संलग्न है, तिल्दा क्षेत्र से संबंधित आदेश अनुलग्नक P/20 के रूप में संलग्न है, राजनंदगांव क्षेत्र से संबंधित आदेश अनुलग्नक P/21 के रूप में संलग्न है और भिलाई क्षेत्र से संबंधित आदेश अनुलग्नक P/22 के रूप में संलग्न है। इस बीच, याचिकाकर्ता ने पं. से मनोविज्ञान में अपनी पी.एच.डी. सफलतापूर्वक पूरी की। रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) ने "5 में जीवन संतुष्टि" विषय पर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। इसी समय याचिकाकर्ता ने पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में पी.एच.डी. पूर्ण



किया। उसने 13.08.2014 को "एलेक्सथिमिया सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार और मध्यम आयु वर्ग की वैवाहिक स्थिति के संबंध में जीवन संतुष्टि" विषय पर अपना शोध-पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रति अनुलग्नक P/23 के रूप में संलग्न है, पी.एच.डी. के लिए अनंतिम प्रमाण- पत्र की प्रति दिनांक 16.10.2014 अनुलग्नक P/24 के रूप में संलग्न है और याचिकाकर्ता को पी.एच.डी. प्रदान किया जाना दर्शाने वाले 01.09.2014 दिनांकित समाचार पत्र के लेखों की प्रतियों को अनुलग्नक P/25 के रूप में संलग्न किया जा रहा है। उपरोक्त उपबंधों के तारतम्य में, याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक P/28 के माध्यम से 16.09.2014 दिनांकित अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दो अग्रिम वेतनवृद्धि की मांग की तथा सफलता पूर्वक पी.एच.डी. पूर्ण कर लेने पर याचिकाकर्ता ने दो अग्रिम वेतनवृद्धि की मांग करते हुए अनुलग्नक P/29 के माध्यम से पुनः 27.10.2014 दिनांकित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आलोक में उत्तरवादियों ने 09.01.2015 दिनांकित पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को यह जानकारी जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को प्रदान की गई पी.एच.डी. उत्तरवादी कंपनी द्वारा की जा रही कार्यकलापों से कैसे संबंधित थी। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त पत्र का जवाब में अपने 16.01.2025 दिनांकित पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया और आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की और इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि उत्तरवादी याचिकाकर्ता को उत्तरवादी कंपनी के श्रमिकों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्देश दे रहे हैं जो अनुलग्नक P/31 के रूप में संलग्न है। उसके प्रयासों के बावजूद, याचिकाकर्ता को लंबे समय तक उत्तरवादी अधिकारियों से कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ, याचिकाकर्ता ने तब मण्डल के आदेश के आलोक में पी.एच.डी. पूरा होने पर अग्रिम वार्षिक वृद्धि प्रदान किए जाने के संबंध में 10.02.2015 दिनांकित एक अनुस्मारक पत्र प्रस्तुत किया। उत्तरवादियों ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई किए बिना, फिर से 04.03.2015 दिनांकित आदेश (अनुलग्नक P/33) के माध्यम से याचिकाकर्ता कोबिलासपुर में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय व्यावसायिक



प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 09.03.2015 और 10.03.2015 को प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता को वरिष्ठ लेखा अधिकारी-I, रायपुर द्वारा दिनांकित 12.03.2015 पत्र के माध्यम से चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया था कि वह सीधे उपरोक्त अधिकारियों को कोई अभ्यावेदन न भेजे और उसे उचित माध्यम से भेजा जाए, 12.03.2015 दिनांकित आदेश की प्रति अनुलग्नक P/34 के रूप में संलग्न है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने मण्डल के 14.03.1984 दिनांकित आदेश के आलोक में पी. एच. डी. पूरा होने पर अग्रिम वार्षिक वृद्धि प्रदान किए जाने के लिए उचित माध्यम के माध्यम से 23.03.2015 दिनांकित अपना अभ्यावेदन (अनुलग्नक P/35) प्रस्तुत किया और उसने उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा अनुरोध के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की। 07.04.2015 और 30.03.2015 दिनांकित आदेशों (अनुलग्नक P/1 और अनुलग्नक P/2) के माध्यम से याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को यह मानते हुए खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त डिग्री छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सी. एस. पी. डी. सी. एल.) द्वारा की जा रही कार्यकलापों से संबंधित/प्रासंगिक नहीं है। अग्रिम वेतनवृद्धि की मंजूरी न मिलने से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक P/36 के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष को 27.06.2015 दिनांकित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता के पास शिकायत के निवारण के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है, वह न्याय पाने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश है। अतः इस याचिका के माध्यम से निम्नलिखित अनुतोषों की मांग की जाती है :-

“क) वर्तमान प्रकरण से संबंधित सभी अभिलेख मंगाए जाएँ।

ख) 07.04.2015 दिनांकित आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक P/01) को अपास्त तथा रद्द करने हेतु एक उचित रिट जारी की जाए।



ग) 30.03.2015 दिनांकित आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक P/02) को अपास्त तथा रद्द करने हेतु एक उचित रिट जारी की जाए।

घ) उत्तरवादियों को, पी.एच.डी. पूरा करने पर 13.08.2014 के प्रभाव से 14.03.1984 दिनांकित आदेश के उपबंधों के अनुसार याचिकाकर्ता को दो अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान करने का निर्देश देते हुए एक उपयुक्त रिट जारी की जाए।

ड) प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझी जाने वाला कोई अन्य अनुतोष प्रदान की जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि 07.04.2015 दिनांकित आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक P/01) तथा 30.03.2015 आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक P/02) खारिज तथा अपास्त किए जाने योग्य हैं। उत्तरवादियों ने एक गलत धारणा पर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त पी.एच.डी. डिग्री छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सी. एस. पी. डी. सी. एल.) द्वारा की जा रही कार्यकलापों से संबंधित/प्रासंगिक नहीं है। पी. एच. डी. डिग्री के पूरा होने पर अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ नहीं देने में उत्तरवादियों की कार्रवाई विधि के विपरीत है और 14.03.1984 दिनांकित आदेश (अनुलग्नक P/26) के उपबंधों का उल्लंघन है जिसे उत्तरवादी कंपनी द्वारा विधिवत अपनाया गया है जो उत्तरवादी कंपनी पर लागू वृद्धि और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित नियमों के उद्धरण (अनुलग्नक P/27) से स्पष्ट है क्योंकि याचिकाकर्ता को पी. एच. डी. पूरा करने पर अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ नहीं देने में उत्तरवादियों की ऐसी कार्रवाई एक यांत्रिक तरीके से और विवेक का उपयोग के बिना मनमानेपन के बराबर है। पी. एच. डी. पूरा करने पर याचिकाकर्ता को अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ नहीं देने में उत्तरवादियों की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है क्योंकि उत्तरवादियों ने पी. एच. डी. पूरा करने पर अग्रिम वेतनवृद्धि का



लाभ एक डॉ. (श्रीमती) अल्पना शरत तिवारी और डॉ. स्वाति तिवारी को 25.06.2010 दिनांकित आदेश के माध्यम से प्रदान किया है। यह उल्लेख करना उचित है कि डॉ. (श्रीमती) अल्पना शरत तिवारी ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से प्रबंधन में पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त की है तथा उसने "मानव संसाधन का लाभ उठाने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका : भारतीय उद्योग संदर्भ में" विषय पर अपना शोध-पत्र प्रस्तुत किया था। डॉ. स्वाति तिवारी ने वाणिज्य विभाग, डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर से वित्त में पी. एच. डी. की डिग्री प्राप्त की है, यह दर्शाने वाली 24.06.2010 दिनांकित नोट- शीट की प्रति (अनुलग्नक P/38) के रूप में संलग्न की जा रही है। उपरोक्त नामित व्यक्तियों को एक/दो अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान किया गया है और याचिकाकर्ता को उसी लाभ से वंचित करने के लिए उत्तरवादियों की ऐसी कार्रवाई स्पष्ट रूप से भेदभाव स्थापित करती है। याचिकाकर्ता द्वारा उचित माध्यम से प्रस्तुत अभ्यावेदन को उपयुक्त अभ्यावेदन के समक्ष रखा जाना था, परन्तु इसके बजाय वरिष्ठ लेखा अधिकारी-I, रायपुर (प्रतिवादी सं. 4) ने 30.03.2015 दिनांकित आक्षेपित आदेश पारित किया था, जिसके बाद कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन), रायपुर (प्रतिवादी सं. 3) द्वारा 07.04.2015 दिनांकित आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, जो स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि आक्षेपित आदेश विवेक का उपयोग किए बिना पारित किए गए हैं। वरिष्ठ लेखा अधिकारी-I, रायपुर (उत्तरवादी सं. 4) द्वारा याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार करना और कुछ नहीं अपितु शक्ति का मनमाना प्रयोग है और इस तरह की अस्वीकृति दुर्भावना से ग्रस्त है क्योंकि उत्तरवादी सं. 4 ने 12.03.2015 दिनांकित आदेश (अनुलग्नक P/34) के माध्यम से याचिकाकर्ता को सीधे मुख्यालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और याचिकाकर्ता की ऐसी कार्रवाई को कदाचार माना था। उत्तरवादियों की ऐसी कार्रवाई आधिकारिक पद और उस पर प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग है। पी. एच. डी. पूरा होने पर अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ नहीं देने में उत्तरवादियों की कार्रवाई भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी



राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 के भी विपरीत है जो लोक सेवकों और कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण उपाय उपबंधित करता है जो संस्थागत तंत्र को और मजबूत करेगा। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 के साथ 19.01.2012 दिनांकित कार्यालय ज्ञापन को अनुलग्नक P/39 के रूप में संलग्न किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 उत्तरवादी कंपनी पर लागू होती है और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता की सेवाओं का उपयोग करने के बावजूद, उत्तरवादी अधिकारियों ने पी. एच. डी. के पूरा होने पर अग्रिम वेतनवृद्धि के प्रदान करना को अस्वीकार कर दिया है। उत्तरवादियों की ऐसी कार्यवाही असमर्थनीय है। अतः आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं और उत्तरवादियों को दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

4. माननीय मध्य प्रदेश न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 5000/1997 में पारित 31.10.2006 दिनांकित आदेश तथा रिट अपील सं. 222/2011 में पारित 12.08.2014 दिनांकित आदेश का अवलंब लिया गया है।

5. उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता की प्रार्थना का कड़ा विरोध करते हुए तर्क करते हैं कि याचिकाकर्ता 14.03.1984 दिनांकित परिपत्र की शर्तों के अनुसार दो वार्षिक वेतनवृद्धि का दावा कर रही है, परन्तु इस परिपत्र से यह स्पष्ट है कि उन कर्मचारियों को दो वेतनवृद्धि प्रदान की जानी है जो इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता अर्जित करते हैं या आई.सी.डब्ल्यू.ए. की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं या निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद पी.एच.डी., डी.फिल, डी. लिट. की योग्यता प्राप्त करते हैं, बशर्ते कि विषय मण्डल की कार्यकलापों से संबंधित हो। याचिकाकर्ता एक स्नातकोत्तर (एम. ए. मनोविज्ञान में) है जो कला संकाय में है और उसने डॉक्टरेट स्तर पर उच्च शिक्षा प्रारंभ करने और पी.एच.डी. प्राप्त करने के लिए उत्तरवादियों की अनुमति की मांग की थी। सेवा की सामान्य शर्तों के अनुसार, उच्च शिक्षा प्रारंभ करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक कर्मचारी को उत्तरवादियों की अनुमति



प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और उत्तरवादियों ने उसे पी.एच.डी. अर्जित करने हेतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति (P/10) 25.08.2009 को प्रदान की थी और इस निर्देश का वेतनवृद्धि प्रदान किए जाने से कोई संबंध नहीं है और ऐसी अनुमति ऐसे कर्मचारी/याचिकाकर्ता को अतिरिक्त वेतनवृद्धि के लिए दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। उक्त अनुमति का उद्देश्य एक ओर कर्मचारियों को अपनी योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना है और दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना है कि उच्च अध्ययन की अवधि के दौरान उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन को बाधित न करे। याचिकाकर्ता ने पी. एच. डी. के लिए पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर में 27.01.2010 को पंजीयन कराया था तथा उसने "एलेक्सथिमिया सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार और मध्यम आयु वर्ग की वैवाहिक स्थिति के संबंध में जीवन संतुष्टि" पर अपना शोध-पत्र 12.08.2014 को प्रस्तुत किया और उसे 13.08.2014 को पी.एच.डी. का अस्थायी प्रमाण- पत्र मिला। याचिकाकर्ता ने यह दर्शाने के लिए विभिन्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए कि उसकी पी. एच. डी. उत्तरवादियों के कार्यकलापों के लिए उपयोगी थी और उन्होंने उसके पी. एच. डी. प्राप्त करने से लाभ प्राप्त किया है। यह सच्चाई से परे है और याचिकाकर्ता का दावा अविश्वसनीय है और वह लेखा विभाग में कार्यालय सहायक वर्ग- II के रूप में कार्य करती आ रही है। इन सभी अनुलग्नकों से पता चलता है कि श्रमिक विकास के लिए प्रशिक्षण 'इन-हाउस' (आंतरिक) कार्यक्रम थे और याचिकाकर्ता सहित कई कर्मचारी इससे जुड़े थे। याचिकाकर्ता इन कार्यक्रमों से इसलिए नहीं जुड़ी थी क्योंकि वह पी.एच.डी. धारक थी बल्कि किसी अन्य कर्मचारी की तरह वह भी उक्त कार्यक्रम से जुड़ी थी। उसने इन कार्यक्रमों के समाप्त होने के लंबे समय बाद पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की अतः वह अपने पी.एच.डी. के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन या श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का श्रेय नहीं ले सकती है। श्रमिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में याचिकाकर्ता की भागीदारी का उसके पी.एच.डी. के साथ कोई संबंध नहीं था और न ही यह उसके व्यवसायिक जीवन के विकास या उसके



कर्तव्यों के निष्पादन में उसकी दक्षता में वृद्धि करता है। लेखा विभाग में अपने अनुभव के आधार पर, उन्हें लेखा विभाग में उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया गया था, और वर्तमान में वह वरिष्ठ लेखा अधिकारी के कार्यालय में कार्यालय सहायक वर्ग- II के रूप में कार्यरत है। इसलिए, उसके अभ्यावेदनों को उत्तरवादियों द्वारा सही रीति से खारिज किया गया है और यह याचिका सारहीन है और खारिज किए जाने योग्य है।

6. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया और आक्षेपित आदेश सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया गया।

7. इस प्रकरण में यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी कंपनी में कार्यालय सहायक वर्ग- I के तौर पर कार्यरत है और यह भी विवादित है कि याचिकाकर्ता मनोविज्ञान में एम. ए. की धारक है और उसने उत्तरवादी प्राधिकारियों से पण्डित रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर में नैदानिक मनोविज्ञान में पी. एच. डी. करने की अनुमति भी मांगी और डॉक्टरेट से सम्मानित होने के बाद, याचिकाकर्ता ने एक/दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान किए जाने के लिए तत्कालीन एम. पी. ई. बी. द्वारा जारी 14.03.1984 दिनांकित परिपत्र के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, परन्तु उसके अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 07.04.2015 दिनांकित आदेश (अनुलग्नक P/01) तथा 30.03.2015 दिनांकित आदेश (अनुलग्नक P/02) के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

8. तत्कालीन एम. पी. ई. बी. (मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल) द्वारा जारी 14.03.1984 दिनांकित परिपत्र निम्नानुसार है :-

“मण्डल उन कर्मचारियों को एक/दो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए सचिव को अधिकार सौंपता है, जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता प्राप्त करते हैं या आई.सी.डब्ल्यू.ए. की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं या



पी.एच.डी., डी.एस.सी., डी.फिल., की योग्यता प्राप्त करते हैं, बशर्ते कि विषय मण्डल के कार्यकलापों से संबंधित हो।"

9. आक्षेपित आदेश अनुलग्नक P/01 और अनुलग्नक P/02 (पृष्ठ 16 और पृष्ठ 17) निम्नानुसार उद्धरित किए जाते हैं-

अनुलग्नक P/01

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

(छ.रा.वि.मं. की एक उत्तरवर्ती कंपनी) (छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

सी.आई.एन. : U40108CT2003SGC015822

कार्यालय कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

क्रमांक 02-11 I(ii)/उच्च शिक्षा/221

रायपुर, दिनांक 07.04.2015

प्रति,

डॉ. हेमलता पाठक तिवारी

कार्यालय सहायक श्रेणी- दो

द्वारा

वरिष्ठ लेखाधिकारी- एक

छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.,

रायपुर

विषय:- उच्च शिक्षा उपाधि पी.एच.डी. अर्जित करने के उपरान्त दिनांक 13.08.2014 से दो अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किए जाने बाबत।

संदर्भ:- आपका अभ्यावेदन दिनांक 23.03.2015।

विषयांतर्गत प्रबंध निदेशक, छ.सं.वि.कं.मर्या. को संबोधित आपके संदर्भित अभ्यावेदन दिनांक 23.03.2015 के संबंध में अवगत कराया जाता है कि आपके द्वारा अर्जित



पी.एच.डी. उपाधि की विषयवस्तु कंपनी के नियमानुसार कंपनी के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं होने के कारण आपको अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं है।

सही/-

कार्यालय निर्देशक (मा.सं.)

छ.रा.वि.क.मर्या., रायपुर

अनुलग्नक P/02

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

(छ.रा.वि.मं. की एक उत्तरवर्ती कंपनी) (छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

सी.आई.एन. : U40108CT2003SGC015822

कार्या. वरिष्ठ लेखाधिकारी- एक.छ.रा.वि.वि.क.मर्या., रायपुर E-mail ID: rao1.cspdcl@gmail.com

क्रमांक: 051-9700/स्था.-82/1180

रायपुर, दिनांक 30.03.2015

प्रति,

डॉ. हेमलता तिवारी पाठक

कार्या. सहा. श्रेणी- दो

कार्या. वरिष्ठ लेखाधिकारी- एक,

छ.रा.वि.वि.क.मर्यादित,

रायपुर।

विषय:- अर्जित पी.एच.डी. उपाधि के फलस्वरूप दो अग्रिम वेतनवृद्धि के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. कार्यपालक निदेशक मा... रा.वि.वि.क.मर्या. रायपुर के पत्र क्रमांक 02-11/1(ii)/स्था./उ.शि./100 दिनांक 19.03.2015।
 2. कार्यपालक निदेशक (रा.क्षे.), रायपुर पकन पत्र क्रमांक 10-01/स्था./0000 दिनांक 26.03.2015।
 3. आपका आवेदन दिनांक 16.09.2014.

-----00-----



आपके द्वारा प्रस्तुत संदर्भित क्रमांक-3 के संबंध में सूचित किया जाता है कि पूर्ववर्ती विद्युत मण्डल का आदेश क्रमांक 01-05/I/I-156(A)/49 दिनांक 14.03.1984 के अनुसार अर्जित पी.एच.डी./डी.एस.सी./डी.फिल./ डी.लिट. उपाधि धारक को एक/दो अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति हेतु आदेश में वर्णितानुसार अर्जित उपाधि की विषयवस्तु मंडल/कंपनी के कार्यकलापों से संबंधित होना चाहिए। आपके द्वारा अर्जित उपाधि क्षेत्रान्तर्गत कार्यकलापों से संबंधित होना चाहिए। आपके द्वारा अर्जित उपाधि क्षेत्रान्तर्गत कार्य-कलापों में उपयोगी नहीं है एवं शक्ति प्रत्यायोजन पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 79. सरल क्रमांक 7.3.2 में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति नहीं करती है। इसलिए आपको अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं है।

सही/-

कार्यालय निर्देशक (मा.सं.)

छ.रा.वि.क.मर्या., रायपुर

10. याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त दस्तावेज 'A' तथा 04.03.2015, 28.04.2018, 07.08.2018 एवं 06.07.2019 दिनांकित आदेशों की प्रति और दस्तावेज 'B', 19.06.2024 दिनांकित आदेश प्रस्तुत किया जो दर्शाता है कि उत्तरवादी प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को उत्तरवादी विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु निर्देशित किया था तथा दस्तावेज 'B' 19.06.2024 दिनांकित आदेश है तथा इस आदेश द्वारा उत्तरवादी प्राधिकारी ने डिग्री प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की वेतनवृद्धि स्वीकार की है।

11. रिट अपील सं. 222/2011 में सचिव व एक अन्य बनाम डॉ. नवनीत धगत के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने 12.08.2014 दिनांकित आदेश के माध्यम से निम्नलिखित टिप्पणी की है-

“उत्तरवादी अपीलार्थियों के नियोजन में कार्यालय सहायक वर्ग-I के रूप में काम कर रहा है। उसने सक्षम प्राधिकारी के उचित अनुमोदन और अनुमति से डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में हिंदी में कला संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के लिए अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया। उत्तरवादी के कार्य का मूल्यांकन कर विश्वविद्यालय ने



उसे वर्ष 1994 में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (हिंदी) की उपाधि प्रदान की। अपीलार्थियों की नीति के अनुसार, नियोजन के दौरान स्नाताकोत्तर (पोस्ट ग्रेज्युएशन) उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारी दो वेतनवृद्धि (इनक्रिमेंट) के लाभ के पात्र थे। अतः उत्तरवादी ने उक्त लाभ हेतु आवेदन प्रस्तुत किया पर उसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि कला (हिंदी) संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से उसे उसके कार्य में सहायता नहीं मिलती थी। व्यथित होकर उत्तरवादी ने रिट याचिका (सेवा) सं. 2665/2003 प्रस्तुत किया जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से स्वीकार किया है।

आदेश का प्रवर्तनीय भाग निम्नानुसार है :-

उपरोक्त शिकायत, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा सुविचारित मत है कि उत्तरवादी/मण्डल ने वेतनवृद्धि के लिए याचिकाकर्ता के दावे को ऐसी रीति से खारिज कर दिया है जिसे इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा 1 जनवरी, 1978 से 30 जून, 1978 के मध्य विभिन्न तिथियों पर मण्डल द्वारा जारी परिपत्रों को अनुलग्नक- J/4 के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनसे, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो कि राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी में तार और अन्य संदेश जारी करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्रों से संकेत मिलता है कि मण्डल ने कर्मचारियों को हिंदी में कार्य किए जाने को तथा आधिकारिक उपयोग के लिए हिंदी में नोटशीट और दस्तावेज तैयार करने किए जाने को प्रचारित और प्रोत्साहित किया है और यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता की उपरोक्त योग्यता उपयोगी नहीं है। तदनुसार, यह पाते हुए कि उत्तरवादियों ने अनुचित विचार पर याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता ने हिंदी में	
--	--



दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त की है जो उसके दैनिक आधिकारिक कर्तव्यों के पालन के लिए उपयोगी है, यह याचिका स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने वाले आदेशों को खारिज किया जाता है और प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को मण्डल के परिपत्रों और नीतियों के अनुसार उसकी पात्रता की तिथि से दो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करें और परिणामी वेतन निर्धारण और मौद्रिक लाभ प्रदान करें। याचिका स्वीकार की जाती है और इसे उपरोक्त के साथ निराकृत होती है।	
--	--

इस पर भी ध्यान दिया जाना है कि सहायक वर्ग- I का पद जिस पर उत्तरवादी कार्यरत है, के लिए हिंदी में नोटशीट तैयार करने और अन्य कार्यालयीन कार्यों की आवश्यकता होती है। अतः हिंदी में विशिष्ट ज्ञान एक अतिरिक्त योग्यता है और यह निश्चित रूप से कार्यालय के कार्य की गुणवत्ता में सुधार करेगा। अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुनने के बाद, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। आक्षेपित आदेश सुस्थापित और अखण्डनीय है।

12. उपरोक्त रिट याचिका के आलोक में, याचिकाकर्ता ने अपने विषय में पी. एच. डी. भी प्रदान की, जिसका शीर्षक "एलेक्सथिमिया सीमा रेखा (बॉर्डरलाइन) व्यक्तित्व विकार और मध्यम आयु वर्ग के लोगों की वैवाहिक स्थिति के संबंध में जीवन संतुष्टि" है। यह स्पष्ट है कि वह विषय जिसमें याचिकाकर्ता को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान की गई है वह स्वयं ही इंगित करता है कि विषय मध्यम आयु वर्ग के लोगों की सीमा रेखा (बॉर्डरलाइन) व्यक्तित्व विकार से संबंधित है। यह विषय श्रमिकों की सामाजिक स्थितियों से संबंधित है और यह भी स्पष्ट है कि उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता को समय-समय पर अपने श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण का निर्देश दिया है, अतः याचिकाकर्ता को



नीति के संदर्भ में एक/दो अग्रिम वेतनवृद्धि के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है जैसा कि 14.03.1984 दिनांकित आदेश में उल्लिखित है।

13. परिणाम स्वरूप, यह याचिका स्वीकार की जाती है और याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने वाले आक्षेपित आदेशों (अनुलग्नक P/1 और अनुलग्नक P/2) को एतद्वारा रद्द किया जाता है और उत्तरवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे मण्डल की नीतियों और 14.03.1984 दिनांकित परिपत्र के अनुसार याचिकाकर्ता को उसकी पात्रता की तिथि से एक/दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान करें और उसकी पात्रता की तिथि से भुगतान किए जाने की तिथि तक परिणामी वेतन निर्धारण और मौद्रिक लाभ प्रदान करें और यह कार्यवाही इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 03 माह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।

14. इस प्रकार, याचिका उपरोक्त निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है।

सही/-

(रजनी दुबे)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।



2025:CGCH:23096

